Drishti IAS

करेंट अफेयर्स हरियाणा

अप्रैल (संग्रह)

2024

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

हरियाणा **3**

- GST चोरी: 19,690 करोड़ रुपए के फर्ज़ी क्रेडिट दावे 3
- हरियाणा मंत्रिमंडल विस्तार को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्च न्यायालय का नोटिस 3
- भारतीय कामगारों का पहला जत्था इज़रायल के लिये रवाना 4
- गरीब कैदियों की राहत हेतु पैनल 5
- सुखना वन्यजीव अभयारण्य 6
- अरावली पुनर्जनन योजना 7
- हरियाणा के राज्यपाल ने श्रीनगर विचार नाग मंदिर का दौरा किया 7
- अरावली भूमि अधिग्रहण पर NGT ने मांगा जवाब 8
- हरियाणा वन जनगणना 8
- भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (AFI) 9
- सोनीपत में बना 'राम लला' का मंदिर 10
- राखीगढ़ी की खोज 11
- फसलों के आकलन के लिये मुख्यमंत्री का आदेश 12
- हरियाणा ने मतदान केंद्रों पर कतार की जाँच के लिये एप लॉन्च किया 12
- RERA - हरियाणा ने देश भर के प्रमोटरों पर जुर्माना लगाया 13
- कलेसर वन्यजीव अभयारण्य 13
- हरियाणा में मिलीं 400 वर्ष पुरानी मूर्तियाँ 14
- हरियाणा के गुरुग्राम में सर्वाधिक मतदाता 15
- नेशनल स्कूल बॉयज़ बास्केटबॉल चैम्पियनशिप 15

नोट :

हरियाणा

GST चोरी: 19,690 करोड़ रुपए के फर्ज़ी क्रेडिट दावे

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वस्तु और सेवा (GST) चोरी के रूप में फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) दावों में पाए गए मूल्य के मामले में दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा शीर्ष पर रहा।

मुख्य बिंदु

- चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 (जनवरी तक) में भारत में फर्ज़ी ITC दावों के लिये कुल 1,999 मामले दर्ज किये गए हैं, जिसमें 19,690 करोड़ रुपए की राशि शामिल हैं।
- FY24 (जनवरी तक) में फर्ज़ी ITC दावों में शामिल राशि FY23 में 1,940 मामलों में पाए गए 13,175 करोड़ रुपए से **49% अधिक** है।
- **आँकड़ों के अनुसार**, मूल्य निर्धारण के मामले में **हरियाणा और दिल्ली** 10,851 करोड़ रुपए की राशि के साथ **शीर्ष पर** रहे। चालू वित्त वर्ष में GST के तहत फर्ज़ी ITC दावों में पकड़ी गई कुल 19,690 करोड़ रुपए की राशि में हरियाणा और दिल्ली की हिस्सेदारी 55% है।

इनपुट टैक्स क्रेडिट

- यह वह कर है जो कोई व्यवसाय किसी खरीदारी पर चुकाता है और इसका उपयोग वह बिक्री करते समय अपनी कर देनदारी को कम करने के लिये कर सकता है।
- इसका अर्थ है कि आउटपुट पर कर का भुगतान करते समय, कोई व्यक्ति इनपुट पर पहले से भुगतान किये गए कर को कम कर सकता है और शेष राशि का भुगतान कर सकता है।
- **अपवाद: GST कंपोजीशन स्कीम** के तहत कोई व्यवसाय इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा सकता है। व्यक्तिगत उपयोग या छूट प्राप्त वस्तुओं के लिये ITC का दावा नहीं किया जा सकता है।

GST काउंसिल

- **अनुच्छेद 279A-GST** के प्रशासन और संचालन के लिये राष्ट्रपति द्वारा GST परिषद का गठन किया जाएगा। इसके अध्यक्ष भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री हैं और राज्य सरकारों द्वारा नामित मंत्री इसके सदस्य हैं।
- परिषद को इस तरह से तैयार किया गया है कि **केंद्र के पास 1/3 मतदान शक्ति होगी और राज्यों के पास 2/3 मतदान शक्ति** होगी।
- निर्णय **3/4 बहुमत** से लिये जाते हैं।

हरियाणा मंत्रिमंडल विस्तार को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्च न्यायालय का नोटिस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने **हरियाणा में नायब सिंह सैनी** सरकार द्वारा कैबिनेट विस्तार को चुनौती देने वाली एक **जनहित याचिका (PIL)** पर केंद्र तथा हरियाणा सरकार से जवाब मांगा।

मुख्य बिंदु:

- याचिका के अनुसार, **राज्य में 90 सदस्यीय सदन है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्रिपरिषद कुल संख्या के 13 (15%)** से अधिक नहीं हो सकती है।

नोट :

- **अनुच्छेद 164** में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी।
- जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि सैनी ने 12 मार्च को पाँच को मंत्री नियुक्त किया, जब उन्होंने 19 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली व आठ और लोगों को नियुक्त किया।
  - **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** के तहत मंत्रिपरिषद में आठ और लोगों को शामिल करना अवैध, शून्य एवं असंवैधानिक है।

जनहित याचिका (PIL)

- यह **मानवाधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने** या व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिये कानून का उपयोग है।
- "जनहित याचिका" की अवधारणा **अमेरिकी न्यायशास्त्र** से ली गई है।
- भारतीय कानून में PIL का अर्थ **जनहित की सुरक्षा के लिये मुकदमा करना** है। यह किसी न्यायालय में पीड़ित पक्ष द्वारा नहीं बल्कि स्वयं न्यायालय या किसी अन्य निजी पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया मुकदमा है।
  - यह **न्यायिक सक्रियता** के माध्यम से न्यायालयों द्वारा जनता को दी गई शक्ति है।
- इसे केवल **सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय** में ही दाखिल किया जा सकता है।
- यह **रिट याचिका से भिन्न** है, जो व्यक्तियों या संस्थानों द्वारा अपने लाभ के लिये दायर की जाती है, जबकि जनहित याचिका आम जनता के लाभ के लिये दायर की जाती है।
- PIL की अवधारणा कानून की मदद से त्वरित सामाजिक न्याय की रक्षा और वितरण हेतु भारत के **संविधान के अनुच्छेद 39 A** में निहित सिद्धांतों के अनुकूल है।
- वे क्षेत्र **जहाँ जनहित याचिका दायर की जा सकती है:** प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा, निर्माणात्मक खतरे आदि।

भारतीय कामगारों का पहला जत्था इज़रायल के लिये रवाना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **इज़रायल में रोज़गार** के लिये जाने वाले भारतीय निर्माण श्रमिकों के पहले बैच को इज़रायली राजदूत नाओर गिलोन और सरकारी अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

मुख्य बिंदु:

- **इज़रायली सरकार ने** नवंबर 2023 में निर्माण श्रमिकों के लिये एक तत्काल अनुरोध किया था और **इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी** के साथ इस प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाने पर चर्चा की थी।
  - ऐसा इसलिये था क्योंकि 7 अक्तूबर 2023 को **हमास द्वारा किये गए आतंकवादी हमलों** के बाद **हज़ारों फिलिस्तीनियों को इज़रायल में कार्य करने से प्रतिबंधित करने** के बाद देश को बड़ी श्रम कमी का सामना करना पड़ा था।
- **राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद** के अनुसार, पहले समूह की भर्ती पिछले कुछ महीनों में **हरियाणा और उत्तर प्रदेश** में एक बड़े अभियान के दौरान की गई थी।
  - वे अपेक्षित 10,000-मज़बूत कार्यबल का हिस्सा हैं, जिन्हें अगले कुछ हफ्तों में इज़रायल भेजा जाएगा, जिनमें से लगभग हर दिन एयर इंडिया और यहाँ तक कि चार्टर्ड फ्लाइट्स से यात्रा की जाएगी।
- **विदेश मंत्रालय** के अनुसार, श्रमिक वर्ष 2023 में हस्ताक्षरित **भारत-इज़रायल गतिशीलता साझेदारी** के हिस्से के रूप में सरकार-से-सरकार व्यवस्था के तहत इज़रायल की यात्रा कर रहे थे।
- चूँकि इज़रायल **"उत्प्रवासन मंज़ूरी आवश्यक" (ECR)** देशों की सूची में नहीं है, इसलिये **MEA के ई-माइग्रेट पोर्टल पर श्रमिकों के लिये पंजीकरण अनिवार्य नहीं है।**
- इज़रायल के साथ **हस्ताक्षरित फ्रेमवर्क समझौते और कार्यान्वयन प्रोटोकॉल** के अनुसार, भारतीय श्रमिकों को इज़रायली नागरिकों के समान श्रम अधिकारों के संबंध में समान व्यवहार का आनंद मिलेगा एवं उन्हें उचित आवास, चिकित्सा बीमा व प्रासंगिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज के साथ-साथ कानून में निर्धारित मज़दूरी तथा लाभ प्रदान किये जाएंगे।

नोट :

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)

- यह एक **गैर-लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी** है जिसकी स्थापना **31 जुलाई 2008** को **कंपनी अधिनियम, 1956** की धारा 25 के तहत की गई थी।
- वित्त मंत्रालय ने NSDC को **सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP)** मॉडल के रूप में स्थापित किया।
- **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE)** के माध्यम से भारत सरकार के पास NSDC की 49% हिस्सेदारी है, जबकि **निजी क्षेत्र के पास शेष 51% हिस्सेदारी** है।
- **संगठन व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये स्केलेबल और सफल पहल विकसित करने हेतु** धनराशि प्रदान करता है।

ई-माइग्रेट

- यह **वर्ष 2015** में लॉन्च होने के बाद से पूरी तरह से चालू है और **भर्ती एजेंटों** (**RA**), **विदेशी नियोक्ताओं (FE)** के पंजीकरण तथा संभावित प्रवासियों को उत्प्रवास मंज़ूरी (EC) जारी करने की सुविधा प्रदान करता है।
- यह 18 **उत्प्रवास जाँच आवश्यक (ECR)** देशों में भारतीय श्रमिकों के सुरक्षित और कानूनी प्रवास की सुविधा के लिये विकसित एक व्यापक ऑनलाइन प्रणाली है।
  - ये 18 देश हैं **अफगानिस्तान, बहरीन, इराक, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन, लीबिया, लेबनान, मलेशिया, ओमान, कतर, दक्षिण सूडान, सीरिया, सूडान, थाईलैंड, यूएई और यमन।**

गरीब कैदियों की राहत हेतु पैनल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चंडीगढ़ प्रशासक ने उन **गरीब कैदियों को राहत देने की योजना के कार्यान्वयन के लिये दो समितियों का गठन किया है,** जिन्हें जुर्माना या ज़मानत राशि का भुगतान न करने जैसी **वित्तीय बाधाओं के कारण जेल से रिहा नहीं किया जा सकता है।**

मुख्य बिंदु:

- **केंद्रीय गृह मंत्रालय** द्वारा **गरीब कैदियों को सहायता योजना** और इसके कार्यान्वयन को अंतिम रूप दे दिया गया है।
- प्रशासन ने गठित किया है:
  - एक **"अधिकार प्राप्त समिति" की अध्यक्षता ज़िला कलेक्टर (DC) और ज़िला मजिस्ट्रेट (DM) करेंगे** तथा इसके सदस्य सचिव, ज़िला कानूनी सेवा प्राधिकरण, पुलिस अधीक्षक (SP) व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे।
  - **निरीक्षण समिति में एक कानूनी सलाहकार-सह-अभियोजन निदेशक, सचिव (गृह/जेल), राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और रजिस्ट्रार जनरल, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के सदस्य के रूप में शामिल होंगे।**
- समिति प्रत्येक मामले में **ज़मानत हासिल करने या जुर्माना आदि के भुगतान के लिये** वित्तीय सहायता की आवश्यकता का आकलन करेगी तथा लिये गए निर्णय के आधार पर, DC व DM **केंद्रीय नोडल एजेंसी (CNA) खाते** से पैसा निकालेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
- समिति **एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर सकती है** और ज़रूरतमंद कैदियों के मामलों के प्रसंस्करण में सहायता के लिये किसी भी नागरिक समाज के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्त्ता तथा ज़िला परिवीक्षा अधिकारी की सहायता ले सकती है।

गरीब कैदियों को सहायता योजना

यह भारत सरकार द्वारा **गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक पहल है जो जुर्माना या ज़मानत राशि का भुगतान करने में असमर्थ हैं,** जिससे उनकी जेल से रिहाई रुक जाती है।

इस योजना का **उद्देश्य जेलों में भीड़भाड़ की समस्या का समाधान करना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी कैदी केवल वित्तीय बाधाओं के कारण जेल में बंद न रहे।**

नोट :

सुखना वन्यजीव अभयारण्य

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने हरियाणा की ओर सुखना वन्यजीव अभयारण्य के आस-पास 1,000 मीटर के क्षेत्र को **इको-सेंसिटिव जोन (ESZ)** के रूप में चित्रित करने के हरियाणा सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। एक मसौदा अधिसूचना, जिसमें हरियाणा की ओर सुखना वन्यजीव अभयारण्य के आसपास 1 किमी. से 2.035 किमी. तक के क्षेत्र को ESZ के रूप में सीमांकित किया गया है।

मुख्य बिंदु:

- 25.98 वर्ग किमी. (लगभग 6420 एकड़) में फैला सुखना वन्यजीव अभयारण्य, केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासनिक नियंत्रण में है और इसकी सीमाएँ हरियाणा एवं पंजाब से लगती हैं।
- अभयारण्य **शिवालिक तलहटी** में स्थित है, जिसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और भूवैज्ञानिक रूप से अस्थिर माना जाता है।
- यह वन्यजीव अधिनियम, 1972 की कम-से-कम सात अनुसूची 1 पशु प्रजातियों का आवास स्थल है, जिनमें **तेंदुआ, भारतीय पैंगोलिन, सांभर, गोल्डन जैकल, किंग कोबरा, अजगर और मॉनिटर लिजार्ड** शामिल हैं।
  - **अनुसूची 1** की प्रजातियों को लुप्तप्राय माना जाता है और उन्हें तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता है।
- इसके अलावा, अभयारण्य में **अनुसूची 2** की पशु प्रजातियाँ जैसे सरीसृप, तितलियाँ, पेड़, झाड़ियाँ, पर्वतारोही, जड़ी-बूटियाँ और 250 पक्षी प्रजातियाँ हैं।

नोट :

अरावली पुनर्जनन योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में दिल्ली वन विभाग ने अरावली के दुर्लभ देशी पेड़ों के संरक्षण के लिये **असोला-भट्टी वन्यजीव अभयारण्य** में एक **ऊतक संस्कृति प्रयोगशाला** की स्थापना की पहल की है।

मुख्य बिंदु:

- **ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला:** प्रयोगशाला एक इन-विट्रो पूर्ण विकसित पौधे-से-पौधे के ऊतकों को निकालने में सक्षम होगी, जिससे एक ही वृक्ष से कई वृक्ष तैयार किये जा सकेंगे।
- वन विभाग **भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE)** एवं **वन अनुसंधान संस्थान (FRI)** के वनस्पति विज्ञानियों व वैज्ञानिकों से सहायता लेगा।
- प्रयोगशाला का प्राथमिक लक्ष्य नियंत्रित वातावरण में लुप्तप्राय देशी वृक्षों को उगाना और **आक्रामक प्रजातियों** के कारण पुनर्जनन चुनौतियों का सामना करने वाली प्रजातियों के पौधों को पुनर्जीवित करना है।
- टिशू कल्चर कृषि में अत्यधिक प्रभावी साबित हुआ है, विशेष रूप से **केले, सेब, अनार और जेट्रोफा जैसी फसलों** के साथ, जो पारंपरिक खेती के तरीकों की तुलना में अधिक उपज प्रदान करता है।
- **अरावली योजना:**
- कुल्लू (घोस्ट ट्री), पलाश, दूधी और धौ जैसी रिज प्रजातियों का पुनर्जनन आक्रामक प्रजातियों द्वारा बाधित होता है, जिसके परिणामस्वरूप जीवित रहने की दर कम होती है, बड़े पैमाने पर गुणन केवल ऊतक संस्कृति, विशेष रूप से **शूट संस्कृति के माध्यम** से प्राप्त किया जा सकता है।
- प्रयोगशाला लुप्तप्राय **औषधीय पौधों** के संवर्धन में भी उपयोगी होगी।

असोला वन्यजीव अभयारण्य

- असोला-भट्टी वन्यजीव अभयारण्य एक महत्त्वपूर्ण वन्यजीव गलियारे के अंत में स्थित है जो अलवर में **सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान** से शुरू होता है और हरियाणा के मेवात, फरीदाबाद तथा गुरुग्राम ज़िलों से होकर गुज़रता है।
- इस क्षेत्र में उल्लेखनीय दैनिक तापमान भिन्नता के साथ **अर्धशुष्क जलवायु** है।
- वन्यजीव अभयारण्य में वनस्पति मुख्य रूप से एक **खुली छतदार काँटेदार झाड़ियाँ** हैं। यह देशी पौधे जेरोफाइटिक अनुकूलन जैसे काँटेदार उपांग और मोम-लेपित, रसीले तथा टोमेंटोज पत्ते प्रदर्शित करते हैं।
- प्रमुख वन्यजीव प्रजातियों में मोर, कॉमन वुडश्राइक, सिरकीर मल्कोहा, नीलगाय, गोल्डन जैकल्स, स्पॉटेड हिरण आदि शामिल हैं।

हरियाणा के राज्यपाल ने श्रीनगर विचार नाग मंदिर का दौरा किया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय** ने श्रीनगर में **प्राचीन वाचर (विचार) नाग शिव मंदिर** का दौरा किया और **कश्मीरी नव वर्ष नवरेह** के अवसर पर एक विशेष पूजा में **कश्मीरी पंडितों** के साथ शामिल हुए।

मुख्य बिंदु:

- यात्रा के दौरान, उन्होंने **'सप्तर्षि प्रणाली'** के 5,100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष कैलेंडर जारी किया।
- **वाचर (विचार) नाग मंदिर** को 1990 के दशक में बंद कर दिया गया था जब बढ़ते उग्रवाद के मद्देनज़र पंडितों ने घाटी छोड़ दी थी।

नवरेह

- यह कश्मीरी हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने (मार्च-अप्रैल) के **शुक्ल पक्ष** के पहले दिन मनाया जाता है।
- यह संस्कृत शब्द **'नव-वर्ष' है जिससे 'नवरेह' शब्द बना है।**
- कश्मीरी पंडित नवरेह त्योहार को अपनी **देवी शारिका** को समर्पित करते हैं और त्योहार के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं।

नोट :

अरावली भूमि अधिग्रहण पर NGT ने मांगा जवाब

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal- NGT) ने **अरावली** में **180 पेड़ों को अवैध रूप से काटने** और अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का विस्तार करने के लिये वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करने के आरोप में **फरीदाबाद नगर निगम को नोटिस जारी किया** है।

मुख्य बिंदु:

- आरोपों की जाँच के लिये ट्रिब्यूनल/अधिकरण द्वारा नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में निगम द्वारा किये गए उल्लंघनों को उजागर किया गया है।
- यह विवाद प्रतापगढ़ गाँव में 50 एकड़ भूमि को लेकर है। हालाँकि इस भूमि में से 47 एकड़ भूमि नगर निकाय के पास है, शेष अभी भी वन और स्वास्थ्य विभाग के पास है।
- NGT पैनल की सिफारिश:
  - **नगर निकाय** को साइट पर परिचालन शुरू करने से पहले **हरियाणा प्रदूषण बोर्ड से अनुमति लेनी होगी**।
  - उन्हें एक **लीचेट उपचार संयंत्र भी स्थापित करना होगा** और आस-पास के क्षेत्र में एक हरित क्षेत्र बनाना होगा जो अरावली तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई के बीच एक **बफर ज़ोन** के रूप में कार्य करेगा।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal- NGT)

- यह पर्यावरण संरक्षण एवं वनों और अन्य **प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों** के प्रभावी व शीघ्र निपटान के लिये **राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम (वर्ष 2010)** के तहत स्थापित एक विशेष निकाय है।
- NGT की स्थापना के साथ, **भारत** ऑस्ट्रेलिया व न्यूज़ीलैंड के बाद एक **विशेष पर्यावरण अधिकरण स्थापित करने वाला विश्व का तीसरा देश** बन गया और ऐसा करने वाला पहला विकासशील देश बन गया।
- NGT को आवेदन या अपील दायर करने के 6 महीने के भीतर अंतिम रूप से निपटान करने का आदेश दिया गया है।
- NGT की बैठक के 5 स्थान हैं, **नई दिल्ली बैठक का प्रमुख स्थान** है और भोपाल, पुणे, कोलकाता व चेन्नई अन्य चार हैं।

हरियाणा वन जनगणना

चर्चा में क्यों ?

पहली राज्य-व्यापी वृक्ष गणना के अनुसार, **हरियाणा में निर्दिष्ट वनों के बाहर लगभग 4.1 करोड़ पेड़ हैं,** जिनमें **नीम, शीशम, पीपल, बरगद और नीलगिरी** सबसे सामान्य प्रजातियाँ हैं।

मुख्य बिंदु:

- **राज्य में हरित आवरण प्रबंधन** के संबंध में सुविज्ञ निर्णय लेने में अधिकारियों की सहायता के लिये लगभग 150 सर्वेक्षक, टैक्सोनोमिस्ट और तकनीकी कर्मचारी 13 महीने की अवधि के लिये परियोजना में लगे हुए थे।
  - यह **वन क्षेत्रों के बाहर प्रत्येक ज़िले में वृक्षों की संख्या पर डेटा प्रदान करता है।** वृक्षों की सबसे अधिक संख्या यमुनानगर, अंबाला, सिरसा, भिवानी और हिसार में पाई गई।
  - फरीदाबाद की गिनती सबसे कम थी, इसके बाद कुरुक्षेत्र, पलवल, गुड़गाँव और रोहतक थे।
- अपने कुल क्षेत्रफल का केवल **6.7%** हिस्सा कवर करने वाले **हरियाणा में भारत में सबसे कम वन और वृक्ष क्षेत्र है। राष्ट्रीय वन नीति** का लक्ष्य प्रत्येक राज्य के लिये 20% कवरेज का है।
  - हरियाणा के 22 ज़िलों में से 21 में 20% से कम वन और वृक्ष आवरण है।
  - करनाल 1.8% के साथ सबसे निचले स्थान पर है, पंचकुला 47.4% के साथ सूची में शीर्ष पर है और गुड़गाँव 12.9% के साथ छठे स्थान पर है।

नोट :

- **भारतीय वन सर्वेक्षण** की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में वृक्ष आवरण में भी तेज़ी से गिरावट देखी जा रही है, वर्ष 2019 से 2020 तक वृक्ष आवरण (वन क्षेत्र को छोड़कर) में 140 वर्ग किमी. की कमी आई है।
  - वन विभाग के अधिकारी जनगणना डेटा का उपयोग करके संरक्षण प्रयासों को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं।
  - वे इस तर्क का समर्थन कर रहे हैं कि सरकार कम-से-कम 25% पंचायत और सामान्य भूमि वृक्षारोपण के लिये निर्धारित करे, संस्थानों को अपने क्षेत्र का 33% वृक्ष कवर के तहत रखना चाहिये तथा शहरी स्थानीय निकायों को हैदराबाद की पहल से प्रेरणा लेते हुए शहरों में हरित स्थान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
  - उच्च गुणवत्ता वाले पौधों के महत्त्व पर ज़ोर देते हुए, अधिकारियों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वृक्षों के अस्तित्व और विकास को सुनिश्चित करने हेतु उनका उपयोग करना महत्त्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय वन नीति

- भारत के वन वर्तमान में **राष्ट्रीय वन नीति, 1988** द्वारा शासित होते हैं
- इसके केंद्र में पर्यावरण संतुलन और आजीविका है।
- **मुख्य विशेषताएँ और लक्ष्य:**
  - पारिस्थितिक संतुलन के संरक्षण और बहाली के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखना
  - प्राकृतिक विरासत का संरक्षण (मौजूदा)।
  - नदियों, झीलों और जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा के कटाव तथा अनाच्छादन की जाँच करना।
  - राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों और तटीय इलाकों में रेत के टीलों के विस्तार की जाँच करना।
  - वनीकरण और सामाजिक वानिकी के माध्यम से वन/वृक्ष आवरण में पर्याप्त वृद्धि करना।
  - ग्रामीण और जनजातीय जनसंख्या की ईंधन, लकड़ी, चारा, लघु वन उपज, मृदा तथा इमारती लकड़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कदम उठाना।
  - राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वनों की उत्पादकता बढ़ाना।
  - वन उपज के कुशल उपयोग और लकड़ी के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करना।
  - कार्य के अवसरों का सृजन, महिलाओं की भागीदारी।

भारतीय वन सर्वेक्षण

- **भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI), देहरादून वर्ष 1987 से** वन आवरण का **द्विवार्षिक (प्रत्येक दो वर्ष में एक बार)** आकलन कर रहा है और निष्कर्ष **भारत राज्य वन रिपोर्ट (ISFR)** में प्रकाशित किये जाते हैं।
- **ISFR 2021** के नवीनतम आकलन के अनुसार, भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण **8,09,537 वर्ग किलोमीटर है जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है।**
- विशेष रूप से, यह **ISFR 2019 मूल्यांकन की तुलना में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्शाता है** जो वन संरक्षण प्रयासों में सकारात्मक प्रगति का संकेत देता है।

भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (AFI)

चर्चा में क्यों ?

भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने **अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय अंतर-ज़िला जूनियर एथलेटिक्स मीट** के लिये टीमें भेजने में विफल रहने पर पूरे देश के **16 ज़िला संघों की मान्यता रद्द कर दी है।**

मुख्य बिंदु:

- असंबद्ध ज़िले (राज्य/केंद्रशासित प्रदेश संघ के नाम के साथ): पंचकुला (हरियाणा), बडगाम, रामबन एवं शोपियाँ (सभी जम्मू-कश्मीर), लोहरदगा (झाकड़ी), कल्पेनी (लक्षद्वीप), पूर्वी जैंतिया हिल्स, पूर्वी खासी हिल्स एवं री-भोई (सभी मेघालय), हरदा व नीमच (दोनों MP), फिरोज़पुर और फाजिल्का (दोनों पंजाब), झालावाड़ (राजस्थान), कृष्णागिरी (TN), पुरबा मेदिनीपुर (WB)।

नोट :

- AFI संविधान के अनुसार, **निलंबित ज़िलों को हटा दिया जाएगा और नए संघ बनाए जाएंगे।**
  - राज्य संघों को AFI के परामर्श से उचित कार्रवाई करने और नई ज़िला इकाइयाँ बनाने के लिये कहा गया है।

भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (AFI)

- यह भारत में एथलेटिक्स के संचालन और प्रबंधन के लिये सर्वोच्च संस्था है।
- यह एक गैर-सरकारी और गैर-लाभकारी स्वायत्त निकाय है।
- यह विश्व एथलेटिक्स, **एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन (AAA)** और **भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन** से संबद्ध है।
- इसे पहले एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया (AAFI) कहा जाता था।
- AFI की लगभग 32 संबद्ध राज्य इकाइयाँ और संस्थागत इकाइयाँ हैं।
- AFI की लगभग 32 संबद्ध राज्य इकाइयाँ और संस्थागत इकाइयाँ हैं।
- यह **वर्ष 1946 में अस्तित्त्व में आया** और यह महासंघ राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन करता है, **भारतीय एथलेटिक्स राष्ट्रीय शिविरार्थियों को प्रशिक्षित करता है, ओलंपिक, एशियाई खेलों, CWG, विश्व चैंपियनशिप,** एशियाई चैंपियनशिप तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय बैठकें, विभिन्न आयु वर्गों के लिये राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित करता है।
  - AFI खेल को बढ़ावा देने, इसे जनता के बीच लोकप्रिय बनाने और एथलीट व खेल के आगे विकास के लिये एथलेटिक्स को व्यावसायिक रूप से आकर्षक बनाने हेतु **अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय चैंपियनशिप** व विभिन्न बैठकें आयोजित करता है।
  - महासंघ अपनी **राज्य इकाइयों की गतिविधियों की देखरेख और सहायता भी करता है,** विशेष कोचिंग शिविरों की योजना बनाता है तथा स्थापित करता है। यह प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देता है और भारत में एथलेटिक्स के विकास कार्यक्रमों तथा **ज़मीनी स्तर पर प्रचार के लिये पहल करता है।**

सोनीपत में बना 'राम लला' का मंदिर

चर्चा में क्यों ?

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद स्वामित्व मुकदमे में एक प्रमुख वादी **निर्मोही अखाड़ा** ने हरियाणा के सोनीपत ज़िले के खांडा गाँव में एक प्रभावशाली '**राम लला**' **मंदिर** का निर्माण किया है।

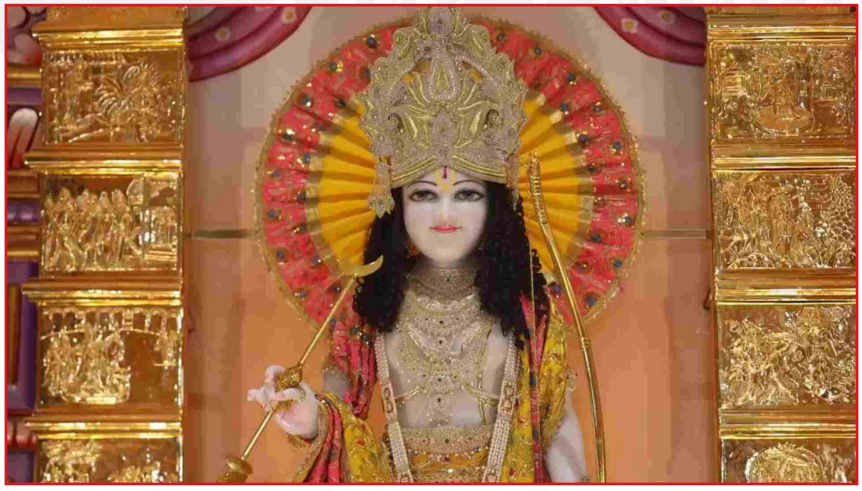

मुख्य बिंदु:

- मंदिर के गर्भगृह में 'राम लला' की मूर्ति की स्थापना '**राम नवमी**' **समारोह** का एक मुख्य आकर्षण थी।
- नए मंदिर को समायोजित करने के लिये 416 वर्ष पुराने 'मठ' का नवीनीकरण किया गया। भारत के विभिन्न हिस्सों से आए निर्मोही अखाड़े के संतों ने पूरे सप्ताह चलने वाले '**प्राण प्रतिष्ठा**' **अनुष्ठान** में भाग लिया।

नोट :

- सफेद 'मकराना' संगमरमर से बनी 'राम लल्ला' की मूर्ति **अयोध्या के राम मंदिर** की तरह दिखती है।
- मूर्ति के चारों ओर बारह सुनहरे मेहराब हैं जो **रामायण** के दृश्यों को दर्शाते हैं।
- मठ में भगवान विष्णु का प्रतीक **'वैष्णव धर्म स्तंभ'** स्थापित किया गया है।

निर्मोही अखाड़ा

- यह **18वीं शताब्दी** की शुरुआत में स्थापित **वैष्णव संप्रदाय के रामानंदी संप्रदाय** का एक 'अखाड़ा' है।
- यह **अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद** द्वारा मान्यता प्राप्त **चौदह अखाड़ों में से एक है** और **वैष्णव बैरागी संप्रदाय** से संबंधित है।

राखीगढ़ी की खोज

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा प्रस्तावित स्कूली पाठ्यपुस्तकों में हाल के बदलावों में से एक में **हरियाणा के राखीगढ़ी के प्राचीन स्थल पर खोजे गए कंकाल अवशेषों पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (DNA)** विश्लेषण के परिणामों के विषय में जानकारी जोड़ना शामिल है।

- इसके अतिरिक्त, आदिवासियों पर विस्थापन और बढ़ती गरीबी के कारण **नर्मदा बाँध परियोजना** के नकारात्मक प्रभाव के संदर्भ हटा दिये गए हैं।

मुख्य बिंदु:

- NCERT ने कहा है कि **राखीगढ़ी हरियाणा में पुरातात्त्विक स्रोतों** से प्राचीन **DNA** के अध्ययन से पता चलता है कि हड़प्पावासियों का आनुवंशिक मूल 10,000 ईसा पूर्व तक रहा है।
- राखीगढ़ी **भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है।** यह स्थल **मौसमी घग्गर नदी से लगभग 27 किमी. दूर सरस्वती नदी के मैदानी इलाके** में स्थित है।
- **6000 ईसा पूर्व (पूर्व-हड़प्पा चरण) से 2500 ईसा पूर्व** तक इसके विकास का अध्ययन करने के लिये **भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) के पुरातत्त्वविद अमरेंद्र नाथ** के नेतृत्व में राखीगढ़ी में खुदाई की गई थी।
- प्रोफेसर शिंदे ने राखीगढ़ी से जुड़े शोध में अहम भूमिका निभाई। प्रोफेसर शिंदे भारतीय इतिहास से जुड़े इन शोधों पर एक किताब **'हिस्ट्री ऑफ इंडिया'** भी लिख रहे हैं।
- प्रोफेसर शिंदे ने कहा-
- **राखीगढ़ी, लोथल गिलुंड, नुजात आदि स्थानों की खुदाई** में मिले अवशेषों, सबूतों और कंकालों की DNA रिपोर्ट से यह साबित हो गया है कि **हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी तथा सबसे विकसित सभ्यता थी।**
- **आर्यों के आक्रमण** और बाहर से आने का सिद्धांत मनगढ़ंत व गलत है, जिसकी पुष्टि **DNA के पुरातात्त्विक तथा वैज्ञानिक सत्यापन के आधार पर की गई है।**

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI)

- **संस्कृति मंत्रालय** के तहत ASI देश की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्त्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिये प्रमुख संगठन है।
- यह 3,650 से अधिक प्राचीन स्मारकों, पुरातात्त्विक स्थलों और राष्ट्रीय महत्त्व के अवशेषों का प्रबंधन करता है।
- इसकी गतिविधियों में पुरातात्त्विक अवशेषों का सर्वेक्षण करना, पुरातात्त्विक स्थलों की खोज और उत्खनन, संरक्षित स्मारकों का संरक्षण तथा रखरखाव आदि शामिल हैं।
- इसकी स्थापना **वर्ष 1861 में ASI के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई** थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को "भारतीय पुरातत्त्व का जनक" भी कहा जाता है।

नोट :

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद

- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एक **स्वायत्त** संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1961 में **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम** के तहत की गई थी।
- यह स्कूली शिक्षा से संबंधित मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देने वाली शीर्ष संस्था है।

फसलों के आकलन के लिये मुख्यमंत्री का आदेश

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अनुसार **प्रभावित किसानों को मुआवज़ा** देने के लिये **ओलावृष्टि** से हुई **फसलों की क्षति** का आकलन करने का आदेश दिया गया है।

मुख्य बिंदु:

- इस बीच, **हरियाणा के मुख्य सचिव** ने मंडियों से स्टॉक उठाने में तेज़ी लाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि **कम-से-कम 50% स्टॉक तुरंत गोदामों में स्थानांतरित** किया जाए।
- खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने ज़िला अधिकारियों को मंडियों से गोदामों तक फसलों के परिवहन हेतु कमीशन एजेंटों (आढ़तियों) के स्वामित्व वाले वाहनों का उपयोग करने के लिये भी अधिकृत किया है।
- **रबी फसल** खरीद से जुड़े अधिकारियों सहित प्रशासनिक सचिवों को **किसानों को 72 घंटे के अंदर भुगतान** करने का निर्देश दिया गया।
- अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि **किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिये** और फसल का भुगतान हर हाल में तय अवधि के भीतर सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

ओलावृष्टि (सहिम वृष्टि)

- ओलावृष्टि/**सहिम** वृष्टि एक प्रकार का **ठोस वर्षण** है जिसमें **बर्फ के गोले** होते हैं।
- **जो तूफान ओले उत्पन्न करते हैं** और ज़मीन तक पहुँच जाते हैं उन्हें ओलावृष्टि कहा जाता है। ये **मध्य अक्षांशों** में सबसे आम हैं।
- ये आम तौर पर **15 मिनट से अधिक समय तक नहीं रहते** हैं, लेकिन लोगों को चोट पहुँचा सकते हैं और इमारतों, वाहनों व फसलों को नुकसान पहुँचा सकते हैं।
- कभी-कभी **ओलावृष्टि के साथ चक्रवात और जलव्रज** जैसी अन्य **गंभीर मौसमी घटनाएँ** भी हो सकती हैं।
- ओलों का आकार **1/4 इंच से कम व्यास वाले छोटे छर्रों**/गोलों से लेकर कई इंच आकार के बड़े पत्थरों तक **व्यापक रूप से भिन्न** हो सकता है।
- ओलावृष्टि होने की स्थितियाँ:
  - अत्यधिक विकसित स्तरी कपासी मेघ/क्यूम्यलोनिम्बस बादलों का उपस्थित होना आवश्यक है। ये विशाल आँवले या **मशरूम के आकार के** मेघ हैं जो गरज के साथ दिखाई देते हैं और जिनका निर्माण **65,000 फीट की ऊँचाई तक** हो सकता है।
  - इन **बादलों के माध्यम से हवा की तेज़ धाराएँ ऊपर उठ रही होती** हैं। इन धाराओं को आमतौर पर **अपड्राफ्ट के रूप में जाना जाता है**।
  - ऐसे बादलों के निर्माण में **अत्यधिक ठंडे जल** की उच्च सांद्रता की आवश्यकता होती है।

हरियाणा ने मतदान केंद्रों पर कतार की जाँच के लिये एप लॉन्च किया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा ने मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर **कतार के बारे में जानकारी** प्रदान करने के लिये '**वोटर-इन-क्यू**' मोबाइल एप लॉन्च किया। इससे मतदाताओं को अपनी सुविधानुसार जाकर मतदान करने में मदद मिलेगी।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- हरियाणा की **10 लोकसभा सीटों** पर **25 मई, 2024** को एकल चरण का मतदान होगा।
- **भारतीय निर्वाचन आयोग** द्वारा **'वोटर-इन-क्यू' एप** को उपयोग के लिये मंज़ूरी दे दी गई है।
- **यह 30 शहरी विधानसभा क्षेत्रों में चालू होगा।** इसके ज़रिए मतदाता चुनाव के दिन **मतदान केंद्रों पर होने वाली भीड़ को लाइव** देख सकेंगे।

RERA - हरियाणा ने देश भर के प्रमोटरों पर जुर्माना लगाया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (HRERA)**, **गुरुग्राम** ने भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिये **कंट्रीवाइड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड पर 50 लाख रुपए का जुर्माना** लगाया है।

मुख्य बिंदु:

- प्राधिकरण के अनुसार, **रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016** की **धारा 11(2) और 13(1) के तहत** अनिवार्य प्रावधानों के बावजूद प्रमोटर ने **विज्ञापन में विवरण का उचित तरीके से वर्णन नहीं किया**, जो **अधिनियम की धारा 61 के तहत एक दंडनीय अपराध** है।
- कंट्रीवाइड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, वर्ष 2021 में RERA पंजीकरण प्राप्त करने के बाद **दीन दयाल जन आवास योजना अफोर्डेबल प्लॉटेड हाउसिंग पॉलिसी- 2016** के तहत एक **किफायती प्लॉटेड कॉलोनी विकसित कर रहा** है।

हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (HRERA)

- **रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016** के तहत, हरियाणा सरकार ने **हरियाणा रियल एस्टेट** (विनियमन और विकास) नियम, 2017 को अधिसूचित किया है जो 28 जुलाई 2017 से लागू हुआ।
- इसके **उद्देश्य** इस प्रकार हैं:
  - इसके सामंजस्यपूर्ण विकास के लिये रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित करना।
  - रियल एस्टेट परियोजनाओं के प्रमोटरों और अपार्टमेंट के खरीदारों के बीच लेन-देन में पारदर्शिता लाना।
  - यह सुनिश्चित करना कि रियल एस्टेट परियोजनाएँ निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी हो जाएँ।
  - परियोजनाओं से संबंधित विवादों को शीघ्रता से हल करना।
  - कानून के प्रावधानों और प्राधिकरण के आदेशों को लागू करना।

रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम (RERA),

- यह वर्ष 2016 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो **1 मई, 2017 से पूरी तरह से लागू** हुआ।
- इसका उद्देश्य रियल एस्टेट की बिक्री/खरीद में दक्षता और पारदर्शिता लाकर **घर-खरीदारों की सुरक्षा** के साथ-साथ **रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा** देना है।
- यह अधिनियम **रियल एस्टेट क्षेत्र के विनियमन** के लिये प्रत्येक राज्य में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) की स्थापना करता है और शीघ्र **विवाद समाधान के लिये एक निर्णायक निकाय** के रूप में भी कार्य करता है।

कलेसर वन्यजीव अभयारण्य

चर्चा में क्यों ?

सर्वोच्च न्यायालय ने **हरियाणा के यमुनानगर ज़िले** में **कालेसर वन्यजीव अभयारण्य** के अंदर चार प्रस्तावित बाँधों के निर्माण पर रोक लगा दी।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- **कालेसर वन्यजीव अभयारण्य** के भीतर चार बाँधों **चिकन, कांसली, खिल्लनवाला और अंबावली** के निर्माण को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई थी क्योंकि इससे क्षेत्र में वनस्पतियों तथा जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- **राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड** ने **भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII)** की रिपोर्ट का संज्ञान लिये बिना वन्यजीव अभयारण्य के अंदर बाँध बनाने की अनुमति दे दी है।
- WII ने अपनी रिपोर्ट **'कालेसर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में प्रस्तावित छोटे बाँधों की व्यवहार्यता अध्ययन'** में स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रस्तावित बाँध कालेसर वन्यजीव अभयारण्य की संरक्षित क्षेत्र सीमा के अंतर्गत हैं और इस तरह **संरक्षित क्षेत्र की स्थलीय तथा साथ ही जलीय जैव विविधता को महत्त्वपूर्ण रूप से** प्रभावित करेंगे।
- 13 दिसंबर 1996 को अधिसूचित कलेसर वन्यजीव अभयारण्य **शिवालिक तलहटी** पर स्थित है। यह राजाजी राष्ट्रीय उद्यान (उत्तराखंड) और सिंबलबारा राष्ट्रीय उद्यान (हिमाचल प्रदेश) से सटा हुआ है।
- पूरा क्षेत्र **जैवविविधता से भरा हुआ है,** जिसमें **घने साल के वन, खैर के वन और घास की भूमि** के टुकड़े हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के पौधों और जीवों की प्रजातियाँ हैं।
- राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से **रॉयल टाइगर** और शक्तिशाली हाथी इस स्थान पर आते हैं। वहाँ पाए जाने वाले अन्य जानवरों में मॉनिटर लिज़ार्ड, ग्रे-हुडेड वार्बलर, किंग कोबरा, क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल, पायथन, चीतल, **चेस्टनट-बेलिड न्यूथैच, सांभर, बार-टेल्ड ट्रीक्रीपर, बार्किंग डियर, घोरल, रेड-बिल्ड ब्लू मैगपाई और तेंदुआ** शामिल हैं।

वन्यजीवन के लिये राष्ट्रीय बोर्ड (NBWL)

- **NBWL सभी वन्यजीव संबंधी मुद्दों की समीक्षा करने** और राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों में तथा उसके आसपास परियोजनाओं को मंज़ूरी देने वाला **शीर्ष संगठन** है।
- NBWL की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और यह वन्यजीवों तथा वनों के संरक्षण एवं विकास को बढ़ावा देने के लिये ज़िम्मेदार है।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं।
- बोर्ड स्वभाव से 'सलाहकार' है और केवल वन्यजीवों के संरक्षण के लिये नीति निर्माण पर सरकार को सलाह दे सकता है।

भारतीय वन्यजीव संस्थान

- यह **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** के तहत एक स्वायत्त संस्थान है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी।
- यह देहरादून, उत्तराखंड में स्थित है।
- यह वन्यजीव अनुसंधान और प्रबंधन में प्रशिक्षण कार्यक्रम, शैक्षणिक पाठ्यक्रम एवं सलाह प्रदान करता है।

हरियाणा में मिलीं 400 वर्ष पुरानी मूर्तियाँ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **मानेसर के पास बाघनकी गाँव** में एक प्लॉट की नींव खुदाई के दौरान लगभग **400 वर्ष पुरानी तीन धातु की मूर्तियाँ** निकलीं।

मुख्य बिंदु:

- पुलिस ने प्राचीन मूर्तियों को ज़ब्त कर लिया है और मालिक को निर्माण गतिविधियाँ रोकने का निर्देश दिया है।
- **पुरातत्त्व विभाग** साइट पर किसी अतिरिक्त मूर्ति की खोज के लिये अतिरिक्त खुदाई करेगा।
- बरामद मूर्तियों में **भगवान विष्णु** की एक खड़ी मूर्ति, **देवी लक्ष्मी की एक मूर्ति और देवी लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु की एक संयुक्त मूर्ति** शामिल है।

हरियाणा के महत्त्वपूर्ण पुरातत्त्व स्थल

- **भिर्राना: फतेहाबाद ज़िले** का एक छोटा-सा गाँव नई दिल्ली से लगभग 220 किमी. उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह स्थल **प्राचीन सरस्वती नदी प्रणालियों** के किनारे स्थित है जो अब आधुनिक हरियाणा में मौसमी घग्गर प्रवाह द्वारा दर्शाया जाता है। 8वीं-7वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व के **हकरा बर्तन** भिर्राना में पाए गए हैं जो इसे प्रारंभिक **हड़प्पा रावी चरण की संस्कृति** के समकालीन बनाते हैं। भिर्राना की अनुमानित प्राचीनता **चारकोल के नमूनों** पर आधारित है जो 7570-7180 ईसा पूर्व और 6689-6201 ईसा पूर्व की तारीखें बताती हैं।

नोट :

- **बनावली:** यह **हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले** में सिंधु घाटी सभ्यता का एक पुरातात्त्विक स्थल है। यह **कालीबंगन** से 120 किमी. उत्तर पूर्व और फतेहाबाद से 16 किमी. दूर सूखी हुई **सरस्वती नदी के बाएँ किनारे पर स्थित है।** खुदाई में 4.5 मीटर ऊँची और 6 मीटर मोटी एक सुरक्षा दीवार के साथ-साथ कमरे, शौचालय तथा सड़कों वाले सुनियोजित घर भी मिले। किलेबंदी के पास की सीढ़ियों को **भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण** द्वारा एक महत्त्वपूर्ण गठन माना जाता है।
- **राखीगढ़ी:** यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है जो **हरियाणा के हिसार ज़िले** में स्थित है। यह स्थल **मौसमी घग्गर नदी** से लगभग 27 किमी. दूर **सरस्वती नदी** के मैदानी इलाके में स्थित है। 6000 ईसा पूर्व (पूर्व-हड़प्पा चरण) से 2500 ईसा पूर्व तक इसके विकास का अध्ययन करने के लिये, **भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) के पुरातत्त्वविद अमरेंद्र नाथ** के नेतृत्व में राखीगढ़ी में खुदाई की गई थी

हरियाणा के गुरुग्राम में सर्वाधिक मतदाता

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, 25 लाख से अधिक मतदाताओं के साथ **गुरुग्राम लोकसभा** क्षेत्र में राज्य के किसी भी संसदीय क्षेत्र के मुकाबले सबसे अधिक मतदाता हैं।

मुख्य बिंदु:

- **हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों** के लिये मतदान **25 मई 2024** को होगा और उसके बाद 4 **जून 2024 को मतगणना होगी।**
- **हरियाणा में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिये** चुनाव विभाग द्वारा कई अनूठी पहल की गई हैं, जिनमें **वोटर इन क्यू ऐप** लॉन्च करना, मतदाताओं को शादी के निमंत्रण के समान मतदान निमंत्रण भेजना और गुरुग्राम की बहुमंज़िला सोसायटियों में 31 मतदान केंद्र स्थापित करना शामिल है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

- यह **भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चुनाव कराने** के लिये **भारत के निर्वाचन आयोग** का प्रतिनिधित्व करने हेतु बनाया गया एक **वैधानिक प्राधिकरण** है।
- भारत के संविधान ने **अनुच्छेद 324** की शुरुआत के साथ **मुख्य निर्वाचन अधिकारी** की शक्तियों को स्वतंत्र बना दिया।
- इनके कर्त्तव्य और शक्तियाँ **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13A** के साथ उल्लिखित **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20** में निहित हैं

नेशनल स्कूल बॉयज़ बास्केटबॉल चैम्पियनशिप

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा के मुख्य सचिव ने गुरुग्राम में **'नेशनल स्कूल बॉयज़ बास्केटबॉल चैंपियनशिप'** का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु:

- **67वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप** स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्त्वावधान में **27 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2024** तक **गुरुग्राम के ताऊ देवी लाल स्टेडियम** में आयोजित की जा रही है।
- इस टूर्नामेंट में देशभर से **17 वर्ष से कम उम्र के लड़कों की कुल 44 टीमें हिस्सा** ले रही हैं।

स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया

- स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया(**SGFI**) की स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी।
- इसे **खेल मंत्रालय** और **भारतीय ओलंपिक संघ** द्वारा मान्यता प्राप्त है।
- SGFI इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन और एशियन स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन का एक सक्रिय सदस्य है।
- अपनी स्थापना के बाद से, SGFI **भारत के स्कूलों में खेलों के प्रचार और विकास के लिये कार्य** कर रहा है। यह भारत के स्कूलों में सभी खेलों का आधार है।

✦ ✦ ✦ ✦

नोट :